बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 26.06.2026

थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा 25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित जेल से फरार सिद्धदोष बन्दी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अवैध तमंचा मय 01 खोखा एवं 01 जिंदा कारतूस सहित घायल अवस्था में गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.06.2026 को थाना इज्जतनगर क्षेत्रांतर्गत स्थित केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश पुत्र अरविन्द निवासी नन्हेडा राजपूत, थाना डिडौली जनपद अमरोहा, जो एस0टी0नं0 41/21 अ0सं0 499/20 धारा 377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा के प्रकरण में मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0/पॉक्सो एक्ट अमरोहा द्वारा दिनांक 09.01.2026 को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित होने के कारण जिला कारागार, बिजनौर से स्थानांतरित होकर दिनांक 19.04.2026 को केन्द्रीय कारागार बरेली में दाखिल किया गया था। उक्त अभियुक्त दिनेश दिनांक 22.06.2026 को कृषि कमान नं0 01 से समय लगभग 12.30. बजे अभिरक्षा से पलायन कर गया।

श्री नीरज कुमार कारापाल केन्द्रीय कारागार बरेली के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 542/2026 धारा 262 बीएनएस बनाम सिध्दोष बन्दी दिनेश पुत्र अरविन्द निवासी नन्हेड़ा राजपूत थाना डिडौली जनपद अमरोहा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना इज्जतनगर पर टीमों का गठन कर तलाश की जा रही थी। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 26.06.2026 की रात्रि में चौकी क्षेत्र बेरियर वन में रोड नं0 08 के सामने नैनीताल हाईवे पर गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना इज्जतनगर को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लिये हुये पैदल पैदल हाईवे की तरफ आ रहा था, मुझे देखकर रेलवे के खण्डर मकान की तरफ छिप गया जो बदमाश हो सकता है। सूचना पर पूर्व से थाना क्षेत्र में रवाना व0उ0नि0 धर्मेन्द्र विश्नोई को टेलीफोन के माध्यम से रोड नं0 08 के सामने नैनीताल हाईवे पर पहुँचने के लिये बताया गया, थोड़े समय में ही व0उ0नि0 धर्मेन्द्र विश्नोई मय हमराही टीम के मौके पर आ गये जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया। उसके बाद थाना प्रभारी मय पुलिस टीम मुखबिर के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिये, मुखविर ने दूर से इशारा करके बताया कि सामने जो रेलवे का खण्डहर मकान है, उसी मकान में वह बदमाश मुझे देखकर घुस था और मुखविर चला गया। तभी पुलिस टीम पेड़ो की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को निशाना बनाते हुये जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे गोली पास से गुजर गयी।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में खण्डहर मकान के पास छिपा बदमाश कराहने लगा जिसे पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पैर में गोली लगी अवस्था में कराह रहा था, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा एवं 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश पुत्र अरविन्द नि0 ग्राम नन्हेड़ा राजपूत थाना डिडोली जनपद अमरोहा बताया। फायर करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं दिनांक 22.06.2026 को इज्जतनगर कारागार की खेती में काम करते समय दिन में करीब 12 बजे पानी पीने के बहाने ट्यूबैल के पास जाकर उसकी आड़ में होते हुये ढ़ैंचा के खेत से छिपते हुये, दीवार कूदकर पीछे वाली बस्ती में होते हुए भाग गया था और परतापुर के रहने वाले नासिर कुरैशी के घर छुप गया था। आज मैं उससे तमंचा लेकर रात्रि में अपने घर निकलने वाला था कि पकड़ा गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल, बरेली भेजा गया।

केन्द्रीय कारागार से फरार होने पर गिरफ्तार शुदा सिध्ददोष बन्दी के विरूध्द थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 542/2026 धारा 262 बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसमें वह वांछित चल रहा था। सिध्ददोष बन्दी द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से की गयी फायरिंग की घटना में थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 559/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार सिध्ददोष बन्दी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ -</u>

गिरफ्तार सिध्ददोष बन्दी दिनेश पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम नन्हेडा राजपूत थाना डिडोली जनपद अमरोहा उम्र करीब 23 वर्ष से पूछताछ की गयी तो बताया कि थाना डिडोली जनपद अमरोहा में मेरे खिलाफ वर्ष 2020 में मु0अ0सं0 499/20 धारा 377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी एसटी एक्ट लिखा गया था। मेरे खिलाफ मुकदमा ए0डी0जे0/पॉक्सो एक्ट अमरोहा में चला था। दिनांक 09.01.2026 को अदालत ने मुझे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी तो मुझे बिजनौर जेल से दिनांक 19.04.2026 को केन्द्रीय कारागार बरेली में लाया गया था। दिनांक 22.06.26 को इज्जतनगर कारागार की खेती में काम करते समय दिन में करीब 12.30 बजे पानी पीने के बहाने ट्यूबैल के पास जाकर उसकी आड में होते हुये ढैंचा के खेत से छुपते छुपाते हुये दीवार कूदकर पीछे वाली बस्ती में होते हुये भाग गया था और परतापुर के रहने वाले नासिर कुरैशी के घर छुप गया था। नासिर से मेरी मुलाकात काम करते समय दीवार के पास हुई थी। आज मै उससे तमंचा लेकर रात्रि में अपने घर निकलने वाला था कि सामने से रोड़ पर एक आदमी दिखाई देने पर मैं खण्डहर मकान में छुप गया और यहां से निकलने की फिराक में था कि अचानक पुलिस के सामने आने पर पकड़े जाने के डर से मैंने पुलिस पर फायर कर दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -</u>

दिनेश पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम नन्हेडा राजपूत थाना डिडोली जनपद अमरोहा। (23 वर्ष सिद्धदोष बन्दी)

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

मु0अ0सं0 559/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना इज्जतनगर बरेली।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 499/20 धारा 377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना डिडोली अमरोहा।
2. मु0अ0सं0 542/2026 धारा 262 बीएनएस थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली।
3. मु0अ0सं0 559/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी -</u>

एक अवैध तमंचा देशी 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

<u>पुलिस टीम -</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र गौतम थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील शर्मा SOG प्रथम मय टीम जनपद बरेली।
3. व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र विश्नोई थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली ।
5. उ0नि0 श्री विकास यादव थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
6. उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
7. हे0का0 467 प्रीतम सिंह थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
8. हे0का0 647 धनीश सक्सैना थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
9. हे0का0 869 शोभित यादव थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

10\. का0 3907 सौरभ कुमार थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
10.का0 2866 मनीष मलिक थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।
11.का0 59 रहमान थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।